

50  
12

प्र.क. - R-3587/II 114 करनी  
...../2013-17

ज.नि.प्र.  
रा.प्र.नि.प्र.  
र.प्र.नि.प्र.  
1 SEP 2014  
म.प्र.शासन  
जबलपुर संभाग

अनिल नागरथ वल्द स्व.श्री आर.पी.नागरथ उम्र 58 वर्ष  
निवासी-सिविल लाईन गणेश चौक के पास कटनी तह.व जिला कटनी(म.प्र.)  
पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

- एम.आर.इन वल्द स्व.श्री टी.सी.इन उम्र लग.75 वर्ष
- पैट्रिक इन वल्द श्री एम.आर.इन उम्र लग. 45 वर्ष  
दोनों निवासी-बरगवां नेहरू वार्ड एल.आई.सी.ऑफिस  
के सामने जबलपुर रोड बरगवां कटनी तह.व जिला कटनी (म.प्र.)
- म.प्र.शासन द्वारा तहसीलदार नजूल कटनी तह. व जिला कटनी (म.प्र.)  
उत्तरदातागण

117

अंदिता



## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

(52)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R. 3587-1/2014... जिला कटनी.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-12-14 जबलपुर कैम्प	<p>आवेदक अधिवक्ता सूचना उपरांत अनुपस्थित प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह प्रकरण अतिरिक्त कलेक्टर जिला कटनी के प्र.क्र. व/बी-121/2012-13 में जारीत आदेश दि. 12-8-14 से परिचित होकर आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसकी शक्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया।</p> <p>2- अपर कलेक्टर जिला कटनी द्वारा आवेदक का आदेश। नियम 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का आवेदन स्वीरिज किया है क्योंकि आवेदक प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं है और पूर्व में कलेक्टर न्यायालय के प्रकरण में क्र. 34/पुनरीक्षण/बी-121/09-10 में भी आवेदक पक्षकार नहीं थे। अतः अपर कलेक्टर द्वारा की जा रही कार्यवाही विधिवत है, जिसमें दस्तखत का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से उद्यम दृष्ट्या यह निगरानी अग्रग्राह्य की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">प्रशासकीय सयस्य</p>	

